दिनांक–16.10.2014 को श्री हुकुम सिंह मीणा (भा.प्र.से.) सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में प्रमंडलीय उप निदेशकों एवं जिला कल्याण पदाधिकारियों के साथ की गई बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः– संलग्न सूची।

सर्वप्रथम सचिव के निदेशानुसार उप सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत किया गया तथा विधिवत् एजेंडा की संक्षिप्त जानकारी देते हुए बैठक की कार्यवाही शुरू की गई।

1. <u>ए .सी./डी.सी. एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र–</u>

ए.सी./डी.सी. बिल की समीक्षा के कम में गया, प0 चम्पारण, जमुई, भभुआ, पटना, सुपौल, सीमामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी आदि जिलों की स्थिति बहुत ही असंतोषजनक पायी गई। गया में 17.24 करोड रू0, प0 चम्पारण में 10.13 करोड रू0, जमुई में 3.20 करोड.रू0, भभुआ में 3.16 करोड़ रू0, पटना में 2.37 करोड़ रू0, मुजफ्फरपुर में 1.31 करोड़ रू0 सुपौल में 1.23 करोड रू0, सीतामढ़ी में 1.13 करोड़ रू0, मधुबनी में 1.2 करोड़ रू0 की राशि के डी0सी0 बिल असमायोजित पाये गये है। जिला कल्याण पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ लंबित असमायोजित राशि विभाग को वापस करना है, क्योंकि वह कहीं खर्च होने वाला नहीं हैं। जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि उन्हें भी 9.19 लाख रूपये विभाग को वापस करना है। मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि असमायोजित 1.31 करोड़ रू0 में से 8 लाख रू0 की राशि सी0डी0 में जमा है तथा 62 लाख रू0 की निकासी नहीं हुई है। इन्हें निदेश दिया गया कि कोषागार पदाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र लेकर महालेखाकार, पटना में जमा करें ताकि इसे समायोजित किया जा सके।

डी0सी0 बिल के असमायोजन की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि गया, **"जमुई, पटना, सुपौल एवं प0 चम्पारण के जिला कल्याण पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाय तथा अगले आदेश तक वेतन भुगतान नहीं करने का आदेश निर्गत किया जाय।" लगातार दो बैठकों से अनुपस्थित रहने के कारण जिला कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा से स्पश्टीकरण पूछकर अग्रेत्तर कार्यवाही चलाने का निदेश दिया गया।**

यह भी निदेश दिया गया कि सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एक अभियान चलाकर इस महीने के अंत तक असमायोजित डी0सी0 बिल की राशि का समायोजन करवायें अन्यथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी।

(अनुपालन– सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना)

उपयोगिता प्रमाण पत्र के समीक्षा के कम में पाया गया कि प0 चम्पारण में 11.29 करोड़ रू0, सारण में 8.90 करोड़ रू0, कटिहार में 5.50 करोड़ रू0, भागलपुर में 5.50 करोड़ रू0, नालंदा में 5.30 करोड़ रू0, पूर्णिया में 4.63 करोड़ रू0, मधेपुरा में 4.26 करोड़ रू0, मधुबनी में 4.14 करोड़ रू0, भभुआ में 3.22 करोड़ रू0, मुंगेर में 2.45 करोड़ रू0, भोजपुर में 2.25 करोड़ रू0, बक्सर में 2.70

लाख रू0 का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त है, जिसके कारण व्यय किये गये एक बहुत बड़ी राशि के विरूद्ध समायोजन का मामला लंबित है।

इसके अतिरिक्त पटना में 1.13 करोड़ रू0, गोपालगंज में 1.70 करोड़ रू0, सहरसा में 1.65 करोड़ रू0 राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना शेष है। सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि नवम्बर, 2014 के प्रथम सप्ताह तक इसे तैयार कर भेज दें ताकि समायोजन किया जा सके। अगर निर्धारित अवधि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाता है तो इसे गंभीरता से लेते हुए विभागीय कार्यवाही का निर्णय लिया जायेगा।

(अनुपालन सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

2. <u>सेवांत लाभः–</u>

समीक्षा के कम में पाया गया कि सेवांत लाभ के कुल 36 मामले लंबित हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुंगेर में 06 मामले, गया में, 03 मामले अररिया में 03 मामले, आरा में 03 मामले, सारण में 03 मामले, मुजफ्फरपुर एवं औरगंबाद तथा बांका में 2–2 मामले लंबित पाये गये। जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि दो मामले शेष थे जिसमें एक मामले का निष्पादन हो गया है तथा रामवदन यादव का सेवान्त लाभ के सभी मामले दो दिनों के अन्दर निपटा लिया जायेगा। जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फपुर द्वारा बताया गया कि मेरे यहॉ 04 लंबित मामले थे, 03 मामले का निष्पादन पूर्णतः कर दिया गया है तथा एक मामला श्री गणेश पासवान का लंबित है, जिसे एक सप्ताह में पूरा कर लिया जायेगा। जिला कल्याण पदाधिकारी, बांका द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ दो मामला लंबित था, जिसमें दोनों का पूर्णतः निष्पादन हो गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ 03 मामले लंबित थे, तीनों मामलों का अंतिम भुगतान हेतु कोषागार में बिल भेज दिया गया है। अधिकतम एक सप्ताह के अंदर तीनों मामलों का निष्पादन हो जायेगा। जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर के कार्यालय में 06 मामले लंबित पाये गये उनके द्वारा बताया गया कि श्री कामेश्वरी ठाकुर के सेवान्त लाभ का निष्पादन हो गया है। स्व0 ओम प्रकाश राम, स्व0 मीरा सिन्हा एवं श्री राजकुमार के सेवान्त लाभ का निष्पादन दिनांक 18.10.2014 तक पूर्णतः निष्पादन कर दिया जाएगा। स्व0 जयप्रकाश झा के मामले में उनके द्वारा बताया गया कि मुख्यालय से दिशा–निर्देश की मांग की गई है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि उक्त संचिका को खोजकर दिशा–निर्देश भेजना सुनिश्चित करें।

जिला कल्याण पदाधिकारी, आरा के कार्यालय में तीन मामला लंबित है, जिसमें से स्व0 सुनील कुमार के संबंध में बताया गया कि इनका सभी भुगतान कर दिया गया है, परन्तु श्री सर्वेश बहादुर माथुर एवं राजेन्द्र कुमार सिन्हा के लंबित सेवान्त लाभ के संबंध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी, आरा एवं इनके कार्यालय के बड़ा बाबू का सेवान्त लाभ के सभी मामलों के निष्पादन तक वेतन रोकने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्यालय, स्थापना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना)

जिला कल्याण पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि स्व0 अजय कुमार यादव का संपूर्ण भुगतान हो गया है तथा श्री शक्ति कुमार का बिल कोषागार में भेजा गया है जो दो दिनों में हो जाएगा। श्री सूर्यनंदन मिश्र का पेंशन के लिए महालेखाकार में भेज दिया गया है, जबकि अनिल कुमार का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के लिए मुख्यालय स्तर पर मामला लंबित है। इस संबंध

में मुख्यालय को निदेश दिया गया कि अनिल कुमार का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति का शीघ्र निष्पादन किया जाय।

(अनुपालन–प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्यालय, स्थापना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना)

जिला कल्याण पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि स्व0 तेजेन्द्र झा का भविष्य निधि कटौती की विवरणी अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि स्वयं जाकर कटौती विवरणी प्राप्त कर तीन हप्ते में निष्पादित करें । रामजी उरावं के संबंध में बताया गया कि इनका सेवा पुस्त सत्यापित नहीं था। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर सत्यापित कराकर भुगतान करना सुनिश्चित करें। प्रियनाथ ऋषिदेव के संबंध में निदेश दिया गया कि इनका भुगतान कर दिया जाए तथा भुगतान आदेश में यह दर्ज किया जाए कि अगर अधिक भुगतान होता है तो भविष्य में उसकी कटौती कर ली जाएगी। **(अनुपालन–जिला कल्याण पदाधिकारी, अररिया)**

जिला कल्याण पदाधिकारी, बेतिया द्वारा बताया गया कि दो लंबित मामले शत्रुधन राम का मामला निष्पादित है, जबकि स्व0 सूर्यनारायण महतो के मामले को एक सप्ताह में निष्पादित कर दिया जायेगा। कोषागार में बिल भेज दिया गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि ज्ञान प्रकाश दत्त का भुगतान हो गया है। जबकि सहरसा द्वारा बताया गया कि चन्द्रशेखर नारायण सिंह जेल में हैं तथा इन पर प्रपत्र गठित किया गया है इसलिए इस पर निर्णय अभी लंबित है।

सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सेवान्त लाभ के लंबित मामलों को संदीजगी के साथ निष्पादित करें तथा ऐसे मामलों के प्रति संवेदनशील रहें, ताकि सेवा निवृत कमियों को अपने सेवान्त लाभ के लिए भटकना नहीं पड़े एवं कोर्ट का सहारा नहीं लेना पड़े।

(अनुपालन–सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्यालय स्थापना से इस आशय का पुनः निर्देश जारी किया जाए कि कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के सेवा निवृति के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उनके भविष्य निधि कटौती विवरणी एवं सेवा पुस्तिका का सत्यापन का कार्य पूर्णतः कराकर रख ले, ताकि सेवा निवृत्ति के पश्चात सेवान्त लाभ के भुगतान में विलम्ब न हो सके।

(अनुपालन–प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना)

3. <u>माननीय उ च्च न्यायालय में लंबित मामले :–</u>

समीक्षा के कम में पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के कुल 12 मामले लंबित है **"जिसमें 6 मामले निदेशालय से संबंधित थे तथा 06 मामले जिला कल्याण पदाधिकारियों से संबंधित है।"** इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी, अरबल द्वारा बताया गया कि प्रति शपथ पत्र दायर हो गया है। एक सप्ताह के अन्दर प्रति शपथ पत्र दायर कर दिया जायेगा। जिला कल्याण पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि कृष्णदेव राम के मामले में प्रति शपथ पत्र तैयार कर लिया गया था, परन्तु कुछ बिन्दु पर मतभेद होने के कारण पुनः इसे तैयार कराने का आदेश दिया गया है, एक सप्ताह के अन्दर प्रति शपथ पत्र तैयार कर दिया जायेगा। जिला कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि प्रतिशपथ पत्र लेकर आये हैं, दिनांक 17.10.2014 तक

प्रति शपथ पत्र दायर कर देंगे। इनके द्वारा शैलेश कुमार के मामले में बताया गया कि अभी रिट की कापी प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी। जिला कल्याण पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि प्रति शपथ पत्र तैयार है जिला विधि शाखा से आदेश मिलते ही प्रतिशपथ पत्र एक हप्ते के अन्दर दायर कर दिया जायेगा। जिला कल्याण पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा बताया गया कि एक मामले में प्रतिशपथ पत्र दिनांक 22.09.2014 तक प्रतिशपथ पत्र दायर कर दिया गया है, जिसका ओथ संख्या–60424 है। मुख्यालय से लंबित एक मामलों के संबंध में बताया गया कि दोनों मामलों में प्रतिशपथ पत्र प्राप्त हो गया है तथा शेष 04 मामलों में प्रतिशपथ पत्र के लिए प्रयास किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि सभी मामलों के प्रति सजग रहें अपने जिला से संबंधित प्रतिवेदन IWDS से देख लें एवं 15 दिनों के समय पर प्रतिशपथ पत्र तैयार करें।

(अनुपालन–निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना)

4. <u>लम्बित विभागीय कार्यव ाहीः–</u>

विभागीय स्तर पर लंबित राजपत्रित पदाधिकारियों के आरोप से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। पाया गया कि लंबित 14 मामलों में 2 मामलों का निष्पादन हुआ है। अभी भी 12 मामले किसी न किसी कारण से निष्पादन हेतु शेष है। उप निदेशक, कोसी प्रमंडल, सहरसा द्वारा बताया गया कि श्री योगन्द्र शर्मा के मामले में प्रपत्र–'क' की प्राप्त हो गई है तथा कार्यवाही शुरू कर दी गई है। श्री ज्ञान प्रकाश के दो मामलों का निष्पादन कर दिया गया है, जबकि उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि श्री सुनील कुमार मिश्रा के संदर्भ में उपस्थापन पदाधिकारी का जवाब प्राप्त हुआ है, मामले को अंतिम सुनवाई पर रखा गया है।

उप निदेशक, मगघ प्रमंडल, गया द्वारा श्री योगेन्द्र शर्मा के लंबित दोनों मामलों में बताया गया कि अंतिम आदेश पर रखा हुआ है। 10 दिनों में निष्पादन कर दिया जायेगा।

अराजपत्रित कर्मियों के विभागीय कार्यवाही के संबंध में उप निदेशक, कल्याण मुजफ्फरपुर प्रमंडल द्वारा बताया गया कि मो0 कमालउद्दीन से संबंधित मामला 15 नवम्बर 2014 तक अंतिम रूप से निष्पादित कर देंगे, जबकि सचिदानन्द झा, लिपिक के संबंध में बताया गया कि यह 15 दिसम्बर 2014 तक निष्पादित कर देंगे। उप निदेशक, कोसी प्रमंडल, सहरसा के कार्यालय में तीन मामले लंबित है। उनके द्वारा बताया गया कि तीनों मामलों का निष्पादन 30 नवम्बर 2014 तक कर लिया जायेगा। उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के कार्यालय में 5 मामले लंबित है। उनके द्वारा बताया गया कि सुधीर कुमार वर्मा एवं यदुनाथ सिंह का मामला 30 नवम्बर 2014 तक निष्पादन हो जायेगा, जबकि विजय कुमार राम का अधिगम (फाइनल रिपोर्ट) एक सप्ताह के अन्दर विभाग को भेज दिया जायेगा। दिलीप कुमार के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि वे जेल में हैं इसलिए कार्यवाही लंबित है। विनोद कुमार के संबंध में बताया गया कि कार्यवाही शुरू की गई है। उप निदेशक, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के यहॉ 03 मामले लंबित पाये गये जिसमें संजय कुमार के मामले में बताया गया कि 30 नवम्बर 2014 तक, ललन ऋषि के मामले में 20 नवम्बर 2014 एवं विनोद कुमार के मामले में 30 नवम्बर 2014 तक निष्पादन कर दिया जायेगा। जबकि रामानंद सिंह के संबंध में बताया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा इसका उपस्थापन पदाधिकारी है, 16 नवम्बर 2014 की तिथि निर्धारित है, उक्त तिथि को निर्णय लिया जायेगा। उप निदेशक, गया प्रमंडल, गया के कार्यालय में 3 मामला लंबित है जिसमें जनार्दन राम के मामले में 10 नवम्बर 2014

तक जबकि अरविन्द कुमार सिन्हा के मामले में 15 दिसम्बर 2014 तक निश्चित रूप से निष्पादित कर दिया जायेगा एवं विजय कुमार सिंह के संबंध में बताया गया कि अभी कार्यवाही शुरू किया गया है। उप निदेशक, सारण प्रमंडल द्वारा बताया गया कि दिनेश कुमार के मामले में 30 नवम्बर 14 तक अंतिम रूप से निष्पादित कर दिया जायेगा। उप निदेशक, मुंगेर प्रमंडल द्वारा बताया गया कि विश्वनाथ दास का मामला 15 दिसम्बर 2014 तक निष्पादित कर दिया जायेगा, जबकि विवेक कुमार का मामला अभी शुरू किया गया है इसलिए इसमें अभी समय लगेगा। उप निदेशक, दरभंगा प्रमंडल द्वारा बताया गया कि प्रदुमन प्रसाद एवं रेवती रमण मिश्र से संबंधित दोनों मामला 15 नवम्बर 2014 तक निष्पादित कर दिया जायेगा।

विभागीय कार्यवाही के संबंध में सभी प्रमंडलीय उप निदेशक को निदेश दिया गया कि वे संबंधित मामलों में विशेष ध्यान देते हुए दिये गये समयानुसार निष्पादित कराये ताकि उनके द्वारा भेजे गये अधिगम पर विभाग द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

(अनुपालन–सभी उप निदेशक)

5. <u>अंकेक्षण प्रतिवेद नः–</u>

जिलों में किये गये अंकेक्षण से संबंधित मामलों में समीक्षा के कम मे पाया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारी गया, औरंगाबाद, जमुई, अरबल, प0 चम्पारण एवं खगड़िया को छोड़कर सभी जिला कल्याण पदाधिकारी के यहॉ चार–चार पत्र देने के बावजूद अंकेक्षण प्रतिवेदन विभाग को नहीं भेजा गया है, जबकि लखीसराय, शेखपुरा, मधुबनी, नवादा, समस्तीपुर को दो–दो पत्र भेजी गयी है। इसके बावजूद अभी तक अंकेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है।

निदेश दिया गया कि अगर अंकेक्षण का कार्य समाप्त हो गया है तो अंकेक्षण प्रतिवेदन भेज दे अगर अंकेक्षण प्राप्त नहीं हुआ है तो अंकेक्षण प्रतिवेदन विभाग में जमा करावें। प्रायः यह देखा जा रहा है कि चार्टर एकाउन्टेंट द्वारा सीधे विभाग को अंकेक्षण प्रतिवेदन भेज दिया जाता है। जो कि यह गलत है। **"अंकेक्षण प्रतिवेदन पर चार्टर एकाउन्टेंट एवं जिला कल्याण पदाधिकारी का संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कराने के बाद ही विभाग में जमा करें।"**

इसके अतिरिक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी, गया, बाराचट्टी (गया), मानपुर (गया), प्रखंड विकास पदाधिकारी, पताही (प0 चम्पारण), भगवानपुर एवं लालगंज (वैशाली) तथा बख्तियारपुर एवं पुनपुन (पटना) के यहाँ भी अंकेक्षण प्रतिवेदन लंबित है। निदेश दिया जाता है कि सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क कर अंकेक्षण प्रतिवेदन की कापी भिजवाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

6. <u>प्रवेशिकोत्त र छात्रवृति योजना :–</u>

समीक्षा के कम में यह पाया गया कि छात्रवृत्ति के बहुत सारे मामले लंबित पड़े हुए हैं, जिसके कारण आवेदनकर्त्ता के बीच असंतोष है तथा छात्रों को परेशानियां उठानी पड़ नहीं है। इस संदर्भ में निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर जॉच कर अंतिम प्रतिवेदन जिला कल्याण पदाधिकारी समर्पित करें। गलती का आधार जैसे– जाति प्रमाण पत्र में गड़बड़ी, आय प्रमाण पत्र में गड़बड़ी, गलत संस्थानों और नौकरी करने वाल लोगों के द्वारा गलत आय प्रमाण पत्र देना इत्यादि से संबंधित मामला हो सकता है। अगर ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं तो स्पष्ट प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में दिया जाए, ताकि यहाँ से कार्यवाही हेतु निदेश दिया जा सकता है। इस प्रतिवेदन के लिए एक हप्ते का समय निर्धारित किया जाता है।

(अनुपालन–जिला कल्याण पदाधिकारी)

वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की समीक्षा की गई जिसमें जिला कल्याण पदाधिकारी पटना द्वारा बताया गया कि उन्होंने 565 आवेदन अस्वीकृत किये हैं। उन्हें निदेश दिया गया जॉच कराकर स्पष्ट प्रतिवेदन विभाग को दे तथा लंबित मामलों में भुगतान एक सप्ताह के अन्दर करना सुनिश्चित करें। अगर राशि की आवश्यकता है तो राशि की मांग कर ली जाय। जिला कल्याण पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा बताया गया कि उनके यहॉ 312 आवेदन पत्र अस्वीकृत हुआ है जिसमें अधिकांशतः गलत आय प्रमाण पत्र मामले प्राप्त हुए हैं परन्तु उसमें 36 मामलों में पुनः सुधारकर प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। **"बक्सर द्वारा बताया गया कि उनके यहॉ 70 आवेदन गलत पाये गये हैं, जिसमें 33 नौकरी वाले है। उन्होंने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जॉच कराकर प्रतिवेदन दिये हैं।"** निदेश दिया गया कि सही लोगों का भुगतान एक सप्ताह के अन्दर करना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा 2.20 करोड़ की राशि की मॉग की गई। उनके द्वारा बताया गया कि गलत पाये गये आवेदन पत्रों का प्रतिवेदन आज दिनांक 16.10.14 को समर्पित कर रहे हैं इस पर कार्रवाई किया जाना वांछित है। रोहतास द्वारा 2 करोड़ रू0, अररिया द्वारा 5.81 लाख रू0, प0 चम्पारण द्वारा 2.36 करोड़ रू0, सिवान द्वारा 2 करोड़ रू0, भागलपुर द्वारा 60 लाख रू0 खगड़िया द्वारा 60 लाख रू0, लखीसराय द्वारा 16.50 लाख रू0, शेखपुरा द्वारा 20 लाख रू0 एवं जहानाबाद द्वारा 2 करोड़ रू0 राशि की मांग की गई। जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर द्वारा 39 आवेदन पत्र, किशनगंज द्वारा 18 आवेदन पत्र एवं वैशाली द्वारा 431 आवेदन पत्र, शिवहर द्वारा 19 आवेदन पत्र, बांका द्वारा 100 आवेदन पत्र गलत होने की बात बतायी गयी।

इस संदर्भ में सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि जो गलत आवेदन पत्र पाये गये हैं उसका सुस्पष्ट प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर विभाग को भेज दें परन्तु जो आवेदन पत्र सही है उनका जल्द से जल्द भुगतान किया जाय। अन्यथा किसी भी तरह के विपरीत स्थिति उत्पन्न होने की जवाबदेही जिला कल्याण पदाधिकारियों पर की जायेगी।

राज्य सरकार इस संबंध पर काफी संवेदनशील है। इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दास्त नहीं की जायेगी।

7. <u>अ न्यान्य :–</u>

7.1 जिला कल्याण पदाधिकारी, आरा से बच्चियों को हॉस्टल में Merit upgradation की सुविधा उपलब्ध कराने के संदर्भ में पूछा गया। उन्होंने बताया कि इधर लगातार छुट्टी है। छुट्टी के बाद यह सुविधा बहाल कर दिया जायेगा। उन्होंने कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के संबंध में बताया कि अभी तक क्रय नहीं किया गया है एक सप्ताह के अन्दर क्रय कर लिया जायेगा। सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि एक माह के अंदर Merit upgradation योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप में कराकर सूचित करें जिससे अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

(अनुपालन–जिला कल्याण पदाधिकारी, आरा)

7.2 सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को बताया गया कि सभी जिलों में हॉस्टल, बिल्डिंग की स्वीकृति दी गई है। जिला कल्याण पदाधिकारी इससे अवगत होंगे। यह उनका दायित्व है कि कार्यपालक अभियंता से संपर्क कर शीघ्र कार्य शुरू कराये। जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ कार्य शुरू हो गया है।

7.3 जिला कल्याण पदाधिकारियों को यह भी बताया गया कि सभी जिलों से प्राकल्लन एवं प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों की स्वीकृति दी गई है। विभाग ऐसी सोच रखती है कि जो भी प्राक्कलन या प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं उसमें आपकी सहमति होगी एवं आपके विमर्शोपरांत भेजा गया होगा, और वह प्राक्कलन निर्धारित प्राथमिकता एवं आवश्यकता के अनुसार होगा, परन्तु अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप एक बार पुनः जॉच कर लें एवं यह देख लें कि अगर कुछ अनावश्यक प्रस्ताव भेजे गये हैं तो उसका प्रतिवेदन भेजें, ताकि उसको रद्द किया जाए। अगर कुछ अत्यावश्यक विद्यालय या छात्रावास जिसकी आवश्यकता महसूस की जा रही हो, छूट गया है, उसका प्रतिवेदन शीघ्र भेजा जाय, ताकि उसकी स्वीकृति दी जा सके।

7.4 सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को CUG मोबाइल सर्विस दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। वे एक सुविचारित प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करें कि बी0एस0एन0एल0 अथवा एयरटेल सी0यू0जी0 कनेक्शन या अन्य सेवा का कनेक्शन चाहिए। सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने कार्यालय में स्कैनर, फैक्स, जीरोक्स एवं कम्प्यूटर सिस्टम का कय नियमानुसार कर लें एवं अपने–अपने कार्यालय को संसाधनयुक्त बनाकर रखें।

(अनुपालन–सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

7.5 सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे नियमित रूप से छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों की जाँच करते रहें एवं प्रतिवेदन विभाग को भेजें। वे चाहें तो इसके लिए प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को भी नामित कर सकते हैं, लेकिन प्रतिवेदन नियमित रूप से भेजा जाना आवश्यक है। अगर किसी हॉस्टल में खाने–पीने या अन्य सुविधाओं के लिए कोई समस्या हुआ तो इसकी जवाबदेही जिला कल्याण पदाधिकारी पर निर्धारित की जायेगी। छात्र–छात्राओं को छात्रावास में खाना राज्य से निर्धारित मिनू के अनुसार मिलना चाहिए अन्यथा दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन–सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

7.6 यह भी निदेश दिया गया कि उप विकास आयुक्त के साथ कमिटि बनाकर मेरिट अपग्रेडेशन के लिए एक व्यवस्था निर्धारित करें ताकि आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के छात्र–छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कोचिंग में सुविधा उपलब्ध कराया जा सके।

(अनुपालन–सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

<u>अंत में निम्न दिशा–निर्देश दिये गये :–</u>

(क) छात्र–छात्राओं को आवासीय विद्यालय में भोजन की व्यवस्था राज्य स्तर से निर्धारित मिनू के अनुसार सुनिश्चित करायें। आप अवगत हैं कि छात्र–छात्राओं के भौतिक विकास के लिए सुबह दूध, अंडा एवं सप्ताह में तीन दिन मांसाहारी खाना का प्रावधान किया गया है तथा राज्य सरकार ने छात्र–छात्राओं के लिए भोजन की दर सैनिक स्कूल के मानक के अनुसार निर्धारित की है। इसलिए मानक एवं गुणवत्ता उसी स्तर का होना चाहिए। यदि किसी भी तरह का इस संबंध में चूक होती है तो उसके लिए जिला कल्याण पदाधिकारी एवं प्रभारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की जवाबदेही होगी। इस संबंध में पूर्व में दिशा–निर्देश दिया जा चुका है। इसके तहत छात्र–छात्राओं ने स्वतंत्र तरीके से छात्रावास प्रबंधन समिति बनायी है तथा खाने की गुणवत्ता के बारे में उनका परामर्श लेना आवश्यक है।

(ख) आवासीय विद्यालयों में छात्रावासों की मरम्मति की स्वीकृति विभाग के द्वारा दी गई है। प्राक्कलन आपकी प्राथमिकता एवं आवश्यकता के अनुरूप है। आपका इसमें मुख्य दायित्व ये है कि प्राक्कलन की स्वीकृति संबंधित कार्यपालक अभियंता से प्राप्त कर इसे सुनिश्चित करें कि कार्य

की गुणवत्ता एवं कार्य प्राकल्लन के अनुरूप हो और इसमें सीमेंट की मात्रा एवं अन्य सामग्री लगने वाले की गुणवत्ता अच्छे स्तर की हो, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि प्राक्कलन में उच्च कोटि की सामग्री की दर के अनुसार दिया गया है। यदि निर्माण कार्य में किसी तरह की अनियमितता पायी गई तो कार्यपालक अभियंता के साथ–साथ आप भी दोषी होगें। यदि आपके सलाह पर कार्यपालक अभियंता कार्रवाई नहीं करते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी को शीघ्र सूचित करना सुनिश्चित करें।

(ग) वित्तीय वर्ष 2013–14 के प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति के लिए प्राप्त आवेदन पत्र के जॉच से स्पष्ट है कि लगभग 25–30 प्रतिशत आवेदन गलत है। गलती का मुख्य कारण सरकारी सेवकों के द्वारा गलत आय प्रमाण पत्र देना, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लगाना तथा विशेष तौर से संस्थानों का अस्तित्व में नहीं होने पर भी एक बहुत बड़ी राशि छात्रवृत्ति के रूप में अवैध तरीके से प्राप्त करना। विभाग में तीन माह का जो मेरा अनुभव है ये घटनाएँ इसलिए प्रतिवेदित होती है कि इस तरह की अनियमितताओं पर पूर्व में कोई कार्रवाई नहीं कि गई थी, क्योंकि फर्जी संस्थानों तथा सरकारी कर्मियों के द्वारा छात्रवृत्ति अवैध रूप से लिये जाने पर यदि कार्रवाई की गई होती तो इस तरह की पुनरावृत्ति इस वित्तीय वर्ष में नहीं होती।

"अतः आपको निदेश दिया जाता है कि अनियमित संस्थाएँ जिनका यह प्रमाण हो चुका है कि इसमें छात्र अध्ययन नहीं करते हैं और ऐसे छात्र बिहार में ही हैं, या तो अध्ययनरत है या कोई अन्य व्यवसाय में लगे हुए हैं तो ऐसे छात्रों से तथा विकास मित्रों से प्रतिवेदन लेकर के ऐसे संस्थानों से स्पष्टीकरण करते हुए अविलम्ब आवश्यकता पड़ने पर विधि सम्मत कार्रवाई करें, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करना भी शामिल है, जिससे ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं हो और सरकारी राशि का गबन नहीं हो। जहाँ तक सरकारी कर्मियों के द्वारा गलत आय प्रमाण पत्र देकर छात्रवृत्ति प्राप्त करने का प्रश्न है। ऐसे मामले में विस्तृत प्रतिवेदन निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजें, जिससे राज्य सरकार से कार्रवाई के लिए आदेश प्राप्त किया जा सके। **जिन लोगों ने गलत जाति प्रमाण पर छात्रवृत्ति का दावा किया है वैसे लोगों की विस्तृत छानबीन करें एवं उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दें उसके बाद यदि आवश्यक हो तो प्राथमिकी दर्ज करें, जिससे आगे से ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो।**

(घ) वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित प्रकिया के माध्यम से छात्रवृति का वितरण सुनिश्चित किया जाय। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन माँग गये हैं जिनका जाँच पड़ताल कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। ऐसा देखा गया कि कई गरीब छात्र छात्रवृति से वंचित हो जाते हैं, जिससे उनका पठन–पाठन का कार्य प्रभावित हो जाता है, इसलिए यह आवश्यक है कि छात्रवृत्ति का वितरण ससमय पर हो।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की आशा एवं उम्मीद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Hemmpe
सरकार के सचिव
18/10/2014

ज्ञापांक–1/नि॰ छात्रावास (बैठक)-05-02/2014- 2218 /, पटना, दिनांक– 20.10.14

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त /सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण /सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/ सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Hemmpe
18/10
सरकार के सचिव